





न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

ग्यारसी देवी बनाम छोटी लाल व अन्य


प्रार्थना पत्र संख्या 2/2025

क. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1.	11.09.2025	<p>यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने पेश किया। रिपोर्ट कार्यालय से तलब की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर </p>	
	26/09/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता श्री अशोक अहिर द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थीगण को जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 04, 09 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 15.09.25 को पेश हुआ है। रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण सं. 04, 09 द्वारा नोटिस लेने से इंकार करना संकेत है। अतः नोटिस स्वयं जारी नहीं है। अप्रार्थीगण सं. 01, 03, 05, 06, 08 को कोर्ट से अधिवक्ता श्री संजय शर्मा द्वारा उपस्थिति प्रदान कर जवाब प्र.पा. सी. आई. हेतु अलग-थलग जमा है। शेष अप्रार्थीगण सं. 02, 04, 07, 09, 10 को कोर्ट से वाक्य सभ्य नोटिस दे/प्रति स्वी. नोटिस दे उपस्थिति प्रदान नहीं की गई है। अतः पत्रावली वास्तु आगत कोर्ट वाक्य अनुपस्थिति अप्रार्थीगण 02, 04, 07, 09, 10 तथा अलग अप्रार्थीगण सी. आई. अप्रार्थीगण 01, 03, 05, 06, 08 दिनांक 08/10/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर </p>	<p>Not present  08/10/25</p>
	08/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपर्युक्त उपस्थित अधिवक्ता श्री अशोक अहिर द्वारा प्रकरण प्रार्थना प्र.पा. सी. आई. में नोट प्रोव्इड संकेत कर प्रार्थनापत्र सी. आई. को कोर्ट नहीं चलाना प्रदान अनिवार्य (अधिवक्ता) किया गया है। जिस पर उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 01, 03, 05, 06, 08 द्वारा भी अनुपस्थिति व्यक्त की गई है। अतः नोटिस स्वयं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा</p> <p style="text-align: right;">--- P.T.O.</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर </p>	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर
 ग्यारसी देवी बनाम छोटी लाल व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या : 74/2025

(टी. भाई)

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	08/02/25	<p>प्रार्थनापत्र टी. भाई को आगे नही चलाना अनिवार्य सिद्धांत है। अतः प्रार्थनापत्र टी. भाई. Next Process के आधार पर रवाफि सिद्धांत है। पतावली फुल शुगर होकर दर्ज नम्बर से कुल है। बाद तकमिल शकिल दफतर है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर </p>